

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

शुद्धि-पत्र

क्रमांक 546 / गोपनीय / 2021
दो-2-1 / 2021

जबलपुर, दिनांक 3 जुलाई, 2021

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 521 / गोपनीय / 2021 / दो-2-1 / 2021, दिनांक 01.07.2021 की सारणी के सरल क्रमांक 34 पर श्री धर्मेन्द्र सोनी के नाम के समक्ष, स्तम्भ क्रमांक 5 में दर्शित "पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, दतिया की हैसियत से, को संशोधित करते हुए "पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, दतिया की हैसियत से" पढ़ा जावे।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,


रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 547 / गोपनीय / 2021
दो-2-1 / 2021


जबलपुर, दिनांक 3 जुलाई, 2021

प्रतिलिपि:-

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
2. प्रधान महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर-474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।
3. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश-ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
4. श्री धर्मेन्द्र सोनी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाजापुर, को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित।
5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर / दतिया को सूचनार्थ।
6. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस0ए0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
7. संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
8. रजिस्ट्रार (ई0)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

09. रजिस्ट्रार जनरल के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
10. प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन / बजट / सहायक (कार्य) / शिकायत / वेतन निर्धारण (राजपत्रित) / अग्रिम / अवकाश (राजपत्रित) / सिविल चेकर / क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

टिप्पणी :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. **Reg (IT) (SA) /2018/368**, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।


03.7.18
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
SRK